

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 10/9/12

संख्या-7/स्था.1-11-20/2010सा. 12561/बिहार उच्च-न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम-3(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से सृजित उच्च-न्याय सेवा के पदों को सेवावल में समेकित करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :-

अनुसूची
(नियम-3 देखें)

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान/समय-समय पर यथा पुनरीक्षित	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल पद
1	2	3	4	5	6
1	जिला न्यायाधीश, प्रवेश बिन्दु	₹ 51550-63070	97	98	195
2	जिला न्यायाधीश, प्रवर कोर्ट	₹ 57700-70290	36	30	66
3	जिला न्यायाधीश, अधिकाल वेतनमान	₹ 70290-76450	14	12	26
कुल योग			147	140	287

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अतुल कुमार सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-7/स्था.1-11-20/2010सा. 12561/ पटना-15, दिनांक- 10/9/12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-7/स्था.1-11-20/2010सा. 12561/ पटना-15, दिनांक 10/9/12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के निजी सहायक/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।